फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... सिकराय .....

सरकार बनाम ..... कुल .....

किस्म मुकदमा ..... मु० नं० .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/3/19	निरन्तर सरकार अकिल्ला के साथ सुनवाई पेश किया। साथ ही एतिराज किया जाकर अपत्तियों की तलबी की जाकर सुनवाई दि० 8-5-19 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	
02/04/19	पत्रावली पेश हुई पेरोकार सरकार उपस्थित पेरोकार सरकार को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया। पहले 40 गाटा किया। खातेदारों द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मुताबिक सहमति पत्र अनुसार दुरुस्तीकरण का निवेदन किया गया। सहमति पत्र पर पत्रकार व पटवारी द्वारा प्रमाणित। निरीक्षक व तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर भी दुरुस्ती करने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में मुताबिक सहमति पत्र दुरुस्त किये जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दि० 26-3-2019 को निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा अतः दावाबादी स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण खसरा नं० 211, 212, 213, 214, 231, 232, 249, 250, 274, 307 कुल 10 किता रकबा 3.25 हैक० आराजी सिकराय तह० सिकराय के राजस्व रिकॉर्ड में सहमति दि० 26/3/2019 के मुताबिक दुरुस्ती करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 31/4/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	

Scanned by CamScanner